अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2020 (RCMS 2020/00115) प्रताप सिंह शेखावत (एडवोकेट), 175/3 गणगौर नगर, जिला श्रीगंगानगर–335001 (मोबाईल नम्बर 94144–65664) <u>बनाम</u> अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र.) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>04.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह दिनांक 27.07.2020 को उपस्थित था और उसके पश्चात की पेशी पर एवं भी आज अपीलार्थी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2020 से प्रस्तुत करके सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.03.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> **यहकि दिनांक 01.01.2017 से 29.02.2020 तक कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये नवीन आर्म्स लाइसेन्स की सूची।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में [illegible] जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)( )[illegible]/2020/[illegible] दिनांक 09.08.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि आपके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2020 के द्वारा निम्न बिन्दु की सूचना चाही गई है :

क्र.सं.	बिन्दु	जवाब
1	यह कि दिनांक 01.03.2020 से सूचना उपलब्ध करवाने एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किये गये नवीन हथियार लाईसेंस की सूची।	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना से तात्पर्य विभाग में संधारित अभिलेख से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 16.12.2011 के अनुसार लोक सूचना अधिकार द्वारा सूचना सर्जित करना सूचना के अधिकार के दायरें में नहीं आता । सूचना उसी रूप में दी जा सकती है, जिस रूप में विभाग में संधारित हो। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र 10 जुलाई 2009 के अनुसार सूचना उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। जिस रूप में प्राधिकरण के पास उपलब्ध तथ्यों को खोजकर खोजे गये तथ्यों का संकलन कर नई सूचना बनाक दिया जाना सूचना का अधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत है। जिसे उपलब्ध करवाने में लोकप्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन होता है। अतः धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। आपको किसी विशिष्ट अभिलेख की प्रति की आवश्यकता है तो कार्यालय समय में रिकॉर्ड का निरीक्षण कर चाही जाने वाली सूचना चिन्हित करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:24 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
अति. जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2020 से जवाब दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 09.08.2020 से दिया गया उत्तर** सही है और उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:40:24 IST
Reason: SelfAttested